

SI-200 41115


No.11012/7/2008-Estt. (A)

Government of India

Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions

(Department of Personnel and Training)

मुद्रा संख्या: 2668/53
आ.डा.सं.: 11/5/09
दिनांक: 11/5/09




साधक (Perd.)
Secretary
आ.डा.सं. / R.D. No. 1667
दिनांक / Date: 12/5/09

North Block,
New Delhi,
Dated the 17th April, 2009

OFFICE MEMORANDUM

Subject : Classification of posts under the CCS (CCA) Rules, 1965



Under the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965, all Central Government posts are classified into four categories, viz., Groups "A", "B", "C" and "D". This classification at present is based on the norms prescribed by the Department of Personnel and Training vide S.O. 332(E) dated 20.04.1998 published in the Gazette of India Extraordinary.

2. As per clause (4) of the Central Civil Services (Revised Pay) Rules, 2008 notified vide notification No G.S.R. 622(E) dated 29.8.2008, the **pay band** and **grade pay** or the **pay scales**, as applicable, of every post/grade specified in column 2 of the First Schedule thereto shall be as specified against it in columns 5 and 6 thereof. Consequent upon the notification of the said rules, it has become necessary to prescribe revised norms for categorization of posts into the abovementioned four categories based on the pay band and grade pay or the pay scales as applicable, as approved by the Government. Accordingly, an Order classifying the various Central Civil Services posts into Group "A", "B", "C" and "D" based on the revised norms of pay has been notified in the Gazette of India Extraordinary vide S.O. 946 (E) dated 09.04.2009. A copy of the Order is enclosed. All posts in the Central Civil Services would now stand classified strictly in accordance with the norms of pay band and grade pay or pay scales as prescribed in the said Order.

4. In some Ministries/Departments, posts may exist which are not classified as per the norms laid down by this Department. If, for any specific reason, a Ministry/Department proposes to classify the posts differently,

Handwritten notes on the left margin:
- 'imp' at the top.
- 'Say Bell' with a checkmark.
- 'AS (Perd)' with a checkmark.
- 'Also upon file' with a checkmark.
- 'U.R' with a checkmark.
- '13/5/09' at the bottom.

सं.11012/7/2008-स्था(क)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

नार्थ ब्लॉक

नई दिल्ली,

दिनांक 17 अप्रैल, 2009

कार्यालय जापन

विषय : केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमावली, 1965 के अंतर्गत पदों का वर्गीकरण ।

केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमावली, 1965 के अंतर्गत केन्द्र सरकार के सभी पद 4 श्रेणियों अर्थात् समूह 'क', 'ख' 'ग', और 'घ' में वर्गीकृत किए गए हैं । इस समय यह वर्गीकरण, असाधारण राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 20.4.1998 के सा.आ. 332(अ) में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा निर्धारित मानदण्डों पर आधारित हैं ।

2. दिनांक 29.8.2008 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 622(अ) के अंतर्गत अधिसूचित केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 2008 के खण्ड (4) के अनुसार, प्रथम अनुसूची के कालम 2 में विनिर्दिष्ट प्रत्येक पद/ग्रेड पर लागू वेतनबैंड और ग्रेडवेतन अथवा वेतनमान, वहीं होंगे जो उसके कॉलम 5 और 6 में विनिर्दिष्ट हैं । उपयुक्त नियमों की अधिसूचना के परिणामस्वरूप, सरकार द्वारा अनुमोदित किए अनुसार लागू वेतनबैंड और ग्रेड वेतन अथवा वेतनमानों पर आधारित उपर्युक्त उल्लिखित 4 श्रेणियों में पदों का वर्गीकरण करने के लिए संशोधित मानदण्डों को निर्धारित करना आवश्यक हो गया है । तदनुसार, वेतन के संशोधित मानदण्डों के आधार पर केन्द्रीय सिविल सेवा के विभिन्न पदों को समूह 'क', 'ख' 'ग', और 'घ' में वर्गीकृत करते हुए एक आदेश भारत के असाधारण राजपत्र में दिनांक: 9.4.2009 की सा.आ.-946(अ) संख्या के अंतर्गत अधिसूचित कर दिया गया है । इस आदेश की एक प्रति संलग्न है । केन्द्रीय सिविल सेवाओं में अब सभी पद उपर्युक्त आदेश में निर्धारित वेतनबैंड और ग्रेड वेतन अथवा वेतनमानों के मानदण्डों के अनुसार पूरी तरह से वर्गीकृत समझे जाएंगे ।



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 605]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 9, 2009/चैत्र 19, 1931

No. 605]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 9, 2009/CHAITRA 19, 1931

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 9 अप्रैल, 2009

का.आ. 946(अ).—राष्ट्रपति, केन्द्रीय सिविल सेवाएं (वर्गीकरण नियंत्रण और अपील) नियमावली, 1965 के नियम 6 के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक और अनुच्छेद 148 के खण्ड 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार की दिनांक 20 अप्रैल, 1998 की अधिसूचना संख्या का.आ. 332(अ) का अधिक्रमण करते हुए तथा ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किए गए कार्य अथवा विलोपित किए जाने वाले कार्य को छोड़कर भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों के संबंध में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से परामर्श करने के पश्चात्, एतद्द्वारा, यह निदेश देते हैं कि शासकीय राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से संघ के अन्तर्गत आने वाले सभी सिविल पद निम्नानुसार वर्गीकृत किए जाएंगे :—

क्रम सं.	पदों का विवरण	पदों का वर्गीकरण
(1)	(2)	(3)
1. (क)	मंत्रिमण्डल सचिव के वेतनमान (90,000 नियत), शीर्षस्थ वेतनमान (80,000 नियत) और उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड जमा वेतनमान (75,500-80,000 रु.) में कोई केन्द्रीय सिविल पद; और	
(ख)	निम्नलिखित ग्रेड वेतनों वाला कोई केन्द्रीय सिविल पद :— 37,400—67,900/- रुपए के वेतनमान में वेतन बैंड-4 में 12000/-रुपए, 10000/-रुपए, 89,00/-रुपए और 87,00/-रुपए और 15600-39100/-रुपए में वेतन बैंड 3 में 76,00/-रुपए, 66,00/-रुपए और 54,00/-रुपए	समूह क
2.	निम्नलिखित ग्रेड वेतनों वाला कोई केन्द्रीय सिविल पद :— 9300-34800/-रुपए के वेतनमान में वेतन बैंड-2 में 5400/-रुपए, 4800/-रुपए, 4600/-रुपए और 42,00/-रुपए	समूह ख
3.	निम्नलिखित ग्रेड वेतनों वाला कोई केन्द्रीय सिविल पद :— 5200-20,200/-रुपए के वेतनमान में वेतन बैंड-1 में 2800/-रुपए, 2400/-रुपए, 2000/-रुपए, 1900/-रुपए और 1800/-रुपए	समूह ग